<u>न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़</u>

<u>पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)</u>

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -67/2023

अनवान

1. वालचन्द पुत्र चतरभुज धाकड़, जाति धाकड़, उम्र 44 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. फुलाबाई पत्नि वालचन्द धाकड़, उम्र 42 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण

बनाम

1. वरदीचन्द पुत्र चतरभुज धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, पेशा काश्त, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

प्रतिवादी/विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित - श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक प्रार्थी
श्री आजाद हुसैन अभिभाषक अप्रार्थी

<u>निर्णय</u> दिनांक 28.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वादी ने उक्त अनुवान सदर का एक वादपत्र न्यायालय श्रीमान् में विरूद्ध विपक्षीी प्रतिवादी प्रस्तुत कर दिया है जो सशक्त आधारों पर आधारित होकर अवश्य ही वादी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होगा किन्तु वादपत्र के निण्रित होने से समय लगने की सम्भावना है इस कारण यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित हैं। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी रिकॉर्ड की कृषि भूमियां ग्राम जालखेड़ा, प0ह0 जालखेड़ा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 खाता संख्या 98 पर दर्ज रिकॉर्ड है जिसके खसरा संख्या 277, रकबा 0.1900 है0, लगानी 5.51, खसरा संख्या 281, रकबा 0.2200 है0, लगानी 2.42, खसरा संख्या 283, रकबा 0.1900 है0, लगानी 1.90, खसरा संख्या 284, रकबा 0.0500 है0, लगानी 0.20, खसरा संख्या 334, रकबा 0.8000 है0, लगानी 2.40, खसरा संख्या 358, रकबा 0.6500 है0, लगानी 3.90, खसरा संख्या 370, रकबा 0.3000 है0, लगानी 1.50, खसरा संख्या 470, रकबा 0.5500 है0, लगानी 2.75, कुल किता 08 कुल रकबा 2.9500 है0, कुल लगानी 20.5800 दर्ज रिकॉर्ड हैं उक्त कृषि भूमियों में अप्रार्थीगण एव विपक्षीी का 1/2,1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा मौके पर भूमियों का बंटवारा होकर दोनों अपने अपने हक व हिस्से की कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमियां प्रार्थीगण एवं विपक्षी को अपने पिता चर्तभुज धाकड़ से विरासत में मिली। जिनके [illegible] कृषि भूमियों का नामान्तरकरण बराबर हक व हिस्से से प्रार्थीगण एवं विपक्षी के न[illegible] होकर मौके पर कृषि भूमियों का बंटवारा होकर अपने-अपने हक व हिस्से पर काबिज होकर [illegible] चले आ रहे है। किन्तु कृषि भूमियों का राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं होने से विपक्षी [illegible]के पुत्र पंकज एवं सुधीर धाकड़ पिता बरदीचन्द धाकड़, निवासी जालखेड़ा एवं अन्य परिवार[illegible] मौके पर कृषि भूमियों पर हकाई-जुताई, बुआई तथा फसल कटाई के वक्त लड़ाई-झगड़ा एवं वाद-विवाद कर मारपीट करने पर आमादा हो जाते है तथा कृषि भूमियों की सीमा को लेकर भी वादविवाद कर आए दिन कब्जा करने की बेजा कोशिश करते रहते है जिस पर प्रार्थीगण ने विपक्षी से वाद-विवाद एवं लड़ाई-झगड़ा

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.12.05 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested

नहीं कर कृषि भूमियों को मौके पर पतवाकर राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा आपसी सहमति से करवा लेने बाबात कहा किन्तु विपक्षी ने कृषि भूमियों का बंटवारा राजस्व रिकॉड में करवाने से इनकार कर दिया इस कारण उक्त कृषि भूमियों का राजस्व रिकॉर्ड में बंटवारा कर लगान भी अलग-अलग कायम किया जावे तथा खातेदारी की घोषणा भी अलग-अलग कर लगान अलग से कायम करवाने हेतु प्रार्थीगण की ओर से यह वादपत्र प्रस्तुत किया जाना अतिआवश्यक हो जाने से यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किया है। विपक्षी ने हाल ही दिनांक 05.06.2023 को उक्त वर्णित कृषि भूमियों में से खसरा नम्बर 358 रकबा 0.6500 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 370, रकबा 0.3000 हैक्टेयर पर कब्जा कर हकाई-जुताई कर दी है तथा प्रार्थीगण के मना करने पर भी नहीं मान रहे है तथा मौके पर प्रार्थीगण के साथ लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट करने पर आमादा है जबकि इन कृषि भूमियों पर 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण का भी है किन्तु विपक्षी ने उक्त दोनों नम्बरों की सम्पूर्ण आराजी पर हकाई-जुताई कर दी है जिन्हें बेदखल कर प्रार्थीगण को उनके हिस्से की कृषि भूमियों पर कब्जा दिलवाया जाकर कृषि भूमियों का राजस्व रिकॉर्ड में बराबर-बराबर हक से बंटवारा कर अलग-अलग लगान कायम किया जाकर उनका राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर लगान भी अलग-अलग कायम किया जाना न्यायोचित है। उक्त कृषि भूमियां प्रार्थीगण एवं विपक्षी को अपने पिता चर्तभुज धाकड़ से विरासत में मिली जिनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त वर्णित कृषि भूमियों का नामान्तरकरण बराबर हक व हिस्से से प्रार्थीगण एवं विपक्षी के नाम दर्ज रिकॉर्ड होकर मौके पर कृषि भूमियों का बंटवारा होकर अपने-अपने हक व हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु हाल ही में विपक्षी एवं उसके पुत्रों द्वारा दिनांक 05.06.2023 को प्रार्थीगण के हक व हिस्से की उक्त वर्णित कृषि भूमियों में से ग्राम जालखेड़ा प0ह0 जालखेड़ा, की खाता संख्या 98 पर दर्ज खसरा नम्बर 358, रकबा 0.6500 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 370 रकबा 0.3000 हैक्टेयर कृषि भूमियों पर तथा ग्राम लाडपुर प0ह0 जालखेड़ा पर दर्ज ,खाता संख्या 148 की खसरा नम्ब्र 824 जो कि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड है। इन आराजी जैर बहस पर भी प्रतिवादी संख्या 01 बरदीचन्द धाकड़ एवं उनके पुत्र पंकज एवं सुधीर धाकड़ द्वारा जबरन नाजायज प्रवेश कर हाल ही में दिनांक 05.06.2023 को जबरन हकाई-जुताई कर दी है तथा उक्त कृषि भूमियों पर कब्जा कर लिया है जिन्हें बेदखल कर पुनः कब्जा वादी को दिलाया जाना न्यायोचित है। अतः वादी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी रिकॉर्ड की उक्त चरण संख्या 03 में वर्णित कृषि भूमियों पर जबरन कब्जा कर उन पर हकाई जुताई एवं बुआई करने तथा काश्तकारी कार्य न तो स्वयं करें न ही दिगर व्यक्ति से कराने का निवेदन किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब करने पर विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसैन मय वकालतनामा प्रस्तुत हुए। अप्रार्थी की ओर से वकील अप्रार्थी ने जवाब देने से इन्कार कर सिधे बहस सुनाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने बहस सुनाई। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी रिकॉर्ड की कृषि भूमियां ग्राम जालखेड़ा, प0ह0 जालखेड़ा, [illegible] जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2076-2079 खाता संख्या 98 पर दर्ज [illegible] खसरा संख्या 277, रकबा 0.1900 है0, खसरा संख्या 281, रकबा [illegible] है0, खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.1900 है0, खसरा संख्या 284, रकबा 0.0500 है0, खसरा संख्या 334, रकबा [illegible] है0, खसरा संख्या 358, रकबा 0.6500 है0, खसरा संख्या 370, रकबा 0.3000 है0, खसरा संख्या 470, रकबा 0.5500 है0, कुल किता 08 कुल रकबा 2.9500 है0, दर्ज रिकॉर्ड हैं उक्त [illegible] भूमियों में अप्रार्थीगण एवं विपक्षी का 1/2,1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा मौके पर भूमियों का बटवारा होकर दोनों अपने अपने हक व हिस्से की कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु उक्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड में बंटवाडा नही होने से विपक्षी व उसके पुत्र प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर हकाई जुताई कर अनावश्यक परेशान कर रहे है जिन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagori
Date: 2024.12.05 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर लिखित बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में जमाबंदी सम्वत 2076-79 की ग्राम जालखेडा प0ह0 जालखेडा की खाता संख्या 98 में आराजी संख्या 277, 281, 283, 284, 334, 358, 370, 470 कुल किता 08 कुल रकबा 2.95है0 भूमि में अप्रार्थी/प्रतिवादी बतौर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, पत्रावली में मौजुद वर्तमान जमाबंदी से स्पष्ट है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में तीन बिन्दू देखे जाने है (1) पृथमदृष्ट्या मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति। अप्रार्थी राजस्व रिकार्ड में खातेदार होने से तीनों बिन्दू अप्रार्थी के पक्ष में है। वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत ग्राम जालखेडा प0ह0 जालखेडा की खाता संख्या 98 में आराजी संख्या 277, 281, 283, 284, 334, 358, 370, 470 कुल किता 08 कुल रकबा 2.95है0 कृषि भूमि अप्रार्थी व प्रार्थी के सहखातेदारी हक में दर्ज होने से प्रथमदृष्ट्या हक अप्रार्थी का होना साबित होता है, जिससे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी के पक्ष में अधिक है तथा अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी को होना प्रतित होती है। अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार होने से इनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriy
Date: 2024.12.05 16:08:44 IST
Reason: SelfAttested